BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note No. G/10/2016-17

BIS raids unauthorized Hallmarking center

Bureau of Indian Standards conducted raid on Swastik Hallmarking Center at Chandni Chowk, New Delhi. The illegal center was indulged in testing and Hallmarking of gold jewelry without any recognition of BIS. The raid was conducted on specific information, in the form of complaint along with unauthorized advertising material received by BIS.

During the investigations carried out at their premises, it was found that they were misusing BIS logo with effect from July 2015 and thereby cheating customers and jewelers. The documents indicating the illegal operation were seized during the raid. These documents include attendance register, pamphlets, advertisement material, visiting cards etc. The search & seizure actions included sealing of the XRF/Laser marking machine used by the firm for Hallmarking. The violation of the provisions of the BIS act, with respect to the BIS logo by such firms, would amount to legal action including imposition of penalty as decided by Hon'ble Court.

Under the BIS Hallmarking Scheme, the Assaying & Hallmarking Centers are required to take BIS recognition for initiating testing and Hallmarking on Gold and Silver Jewelry received from Licensed Jewelers. There are 369 BIS approved recognized centers in India and out of which 30 recognized centers are located in Delhi.

Alka Deputy Director, Public Relations Bureau of Indian Standards 9818029017

Dated: 24 June 2016

अनाधिकृत हॉलमार्किंग सेन्टर पर बीआईएस का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदनी चौक, नई दिल्ली में स्थित स्वास्तिक हॉलमार्किंग सेन्टर पर छापा मारा। यह गैरकानूनी सेन्टर बीआईएस की किसी प्रकार की मान्यता के बगैर स्वर्ण आभूषणों का परीक्षण और हॉलमार्किंग कर रहा था। यह छापा शिकायत के रूप में विशेष जानकारी और बीआईएस को अनाधिकृत विज्ञापन सामग्री मिलने पर मारा गया।

जांच के दौरान पाया गया कि यह सेन्टर जुलाई 2015 से बीआईएस लोगो का दुरूपयोग कर रहा था और इसके द्वारा ग्राहकों तथा ज्वैलरों को धोखा दे रहा था। छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज जब्त किए गए जिनसे गैरकानूनी काम का पता चलता है। इन दस्तावेजों में उपस्थिति रजिस्टर, पैम्फलेट, विज्ञापन सामग्री, विजिटिंग कार्ड इत्यादि शामिल हैं। तलाशी और जब्ती में फर्म द्वारा हॉलमार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही एक्सआरएफ/लेजर मेकिंग मशीन को भी सील किया गया। इस प्रकार की फर्मी द्वारा बीआईएस के लोगो से जुंडे बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अदातल द्वारा दंड लगाए जाने सहित कानूनी कार्यवाही किया जाना शामिल है।

बीआईएस हॉलमार्किंग योजना के तहत लाइसेंस वाले ज्वैलरों से प्राप्त सोने और चांदी के आभूषणों के परीक्षण तथा हॉलमार्किंग के लिए एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग सेन्टरों को बीआईएस से मान्यता लेना आवश्यक है। भारत में बीआईएस से मान्यता प्राप्त 369 केन्द्र हैं जिसमें मान्यता प्राप्त 30 सेन्टर दिल्ली में हैं।

अलका उप निदेशक, जन संपर्क भारतीय मानक ब्यूरो 9818029017